

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

27/03/2019 19:03 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/03/2019 Time (समय): 18:36 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 27/03/2019 18:36 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 40 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): Pehowa, PEHOWAKURUKSHETRA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): PEHOWA

District (State) (जिला (राज्य)): KURUKSHETRA (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Kalu Ram

(b) Father's Name (पिताका नाम): Gurcharan Singh

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE BILOCHPURA, Pehowa, PEHOWA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE BILOCHPURA, Pehowa, PEHOWA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मुख्य सिपाही मुकेश शर्मा			1. पुलिस चौकी पेहोवा, पेहोवा, PEHOWA, KURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है, सेवा मे, एस.पी.विजिलेंस, अम्बाला। श्री मान जी, निवेदन यह है कि, मैं कालू राम उर्फ कमल पुत्र श्री गुरचरण सिंह वासी गांव बिलोचपुरा, थाना पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं और मेरा पेहवा चौं, पेहवा पर कम्प्यूटर सेंटर है। मेरे दोस्त विकास पंडित वासी पूजा कालोनी, पेहवा वगैरह के खिलाफ थाना पेहवा मे मुकदमा न. 508 वर्ष 2018 मे दर्ज हुआ था। जिसमे 02 लडके विकास पंडित व राहुल को पुलिस ने इस मुकदमे मे गिरफ्तार कर लिया है। जबकि बाकि लडके अभी फरार हैं। मेरे पास पिछले करीब 6-7 दिन से मुकेश शर्मा मुख्य सिपाही जोकि, पुलिस चौंकी, पेहवा मे लगा हुआ है मेरे मोबाईल न. 7988786235 पर अपने मोबाईल न. 9468314141 से फोन करके मुझे धमका रहा है, कि आपका नाम उपरोक्त मुकदमा मे आया हुआ है। इसके अलावा वह कई बार मेरे कम्प्यूटर सेंटर पर भी आकर मुझे उक्त मुकदमा मे नजायज फंसाने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि आप मुझे 20,000/- रु. दे नहीं तो आपको इस मुकदमे मे झूठा फंसा देंगे। मैंने उसे कहा कि मेरा इस मुकदमा मे कोई कसूर नहीं है और आप मुझे झूठा कयो फंसाना चाहते हो। लेकिन वह मुझे कह रहा है कि आपका नाम इस मुकदमा मे है और यदि आप अपना नाम इस मुकदमा से निकलवाना चाहते हो तो मुझे 20,000/- रु. दे दो। मैंने उसको कहा कि, मेरा जब इस मुकदमा मे नाम ही नहीं है तो आप मुझसे रिश्त के 20,000/- रु क्यों मांग रहे हो। आज दिनांक 27.03.2019 को सुबह 09.58 बजे फिस मुकेश हवलदार के मोबाईल से मेरे मोबाईल पर फोन आया और मुझसे कहा कि आप आज शाम 04.00 बजे अपने ओफिस मे मिलना और पैसे तैयार रखना। मैंने उसे कहा कि, मेरे पास अभी 20,000/- नहीं है मैं कही से 10,000/- रु. का इन्तजाम करके आपको दे दूंगा। जिस पर उसने कहा कि आप मुझे 10,000/- दे देना बाकी 10,000/- रु मुझे बाद मे दे देना। मैं मुकेश शर्मा, हवलदार द्वारा मांगी गई 20,000/- रु. रिश्त नहीं दे सकता और न ही देना चाहता हूं। मैं आज 10,000/- रु. के 500-500 रु. के करन्सी नोट लेकर आया हूं और अपनी शिकायत के साथ आपको पेश कर रहा हूं। मेरी शिकायत पर मुकेश हवलदार पुलिस चौंकी पेहवा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। प्रार्थी SD Kalu Ram कालू राम उर्फ कमल पुत्र श्री गुरचरण सिंह गांव बिलोचपुरा, थाना पेहवा जिला कुरुक्षेत्र। कार्यवाही पुलिस – आज मन उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मे हाजिर हूं कि, कालू राम उर्फ कमल पुत्र श्री गुरचरण सिंह गांव बिलोचपुरा, थाना पेहवा जिला कुरुक्षेत्र ने एक टाईपशुदा लिखित दरखास्त पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला को पेश की जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला द्वारा दरखास्त कार्यवाही हेतु मन उप पुलिस अधीक्षक को मार्क की है। मन उप पुलिस अधीक्षक ने मुदई से रेड करवाने बारे पुछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मुदई द्वारा पेश किये गये मुबलिक 10,000/- रु. के करन्सी नोट जिनमे 20 अदद करन्सी नोट 500/500 रु. के कब्जा पुलिस मे लेकर अलग से फर्द सुची नोट तैयार की गई। फर्द सुची नोट पर मन उप पुलिस अधीक्षक व मुदई कालू राम उर्फ कमल ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दरखास्त उपरोक्त से सरेदस्त जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर एम.एच.सी, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला के हवाले बराये करने अंकित मुकदमा की गई व मिसल मुकदमा व असल तहरीर मौका पर भिजवाने व स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र की सेवा मे भिजवाने की हिदायत की गई। मन उप पुलिस अधीक्षक मयई./ई.उप.नि. पवन कुमार, सिपाही युधिष्ठिर न.148/कुरुक्षेत्र, सिपाही अमनदीप, न.965/पंचकुला, सिपाही कृष्ण कुमार 226/कुरुक्षेत्र व सिपाही नवीन न0 5/804 कम्प्यूटर आपरेटर के बा-सवारी गाडी सरकारी न0 HR-03R-4444 जिसका चालक सिपाही कमल कुमार न. 496/पंचकुला के रैडिंग पार्टी तैयार करके कालू राम उर्फ कमल मुदई के खाना उपायुक्त कार्यालय कुरुक्षेत्र व मौका रेड का होता हूं। तफतीशी बैग व लैपटाप, प्रिन्टर हमराह लिया गया। SD. Suresh kaushik. उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो थाना अम्बाला At 6.30 pm. | अज थाना - हस्ब आमदा तहरीर उपरोक्त प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न.9 समय 6.36 पी.एम. पर मुकदमा न. 01 दिनांक 27.03.2019 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही जसबीर सिंह न. 1076/कुरुक्षेत्र के द्वारा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कुरुक्षेत्र व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर हवाले करके तफतीशी अधिकारी के पास मौका पर भिजवाई जा रही है प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारियों की सेवा मे अलग से भिजवाई जा रही हैं। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
SUBHASH CHAND
No. (सं.): DSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sushil Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): 93HAP

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

